महत्वपूर्ण

संख्या–1279/65–2–2016–12(विविध)/2016

प्रेषक,

पन्ना लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग जन विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विकलांग जन विकास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर 2016

विषयः उत्तर प्रदेश में निःशक्तजन को उनके भरण–पोषण हेतु अनुदान नियमावली, 2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में निःशक्तजन को उनके भरण–पोषण हेतु अनुदान नियमावली, 2016 को शासन द्वारा प्रख्यापित कर दिया गया है, जिसका हिन्दी/अंग्रेजी रूपान्तरण संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रश्नगत नियमावली के अनुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या–1279(1)/65–2–2016तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, विकलांग जन उ0प्र0 लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
4– समस्त जिला विकलांग जन विकास अधिकारी उ0प्र0।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1।
7– नियोजन अनुभाग–3।
8– विकलांग जन विकास अनुभाग–1/3।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
विकलांगजन विकास अनुभाग-2
संख्या- 1279/65-2-2016-12(विविध)/2010
लखनऊ : दिनांक : 07 अक्टूबर , 2016

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश में निःशक्तजन को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान दिये जाने के लिए निम्नवत् नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1 – नाम — उत्तरप्रदेश में निःशक्तजन को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान नियमावली, 2016

2 – प्रारम्भ — यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

3 – परिभाषा — जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(i) नियमावली का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में निःशक्तजन को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान नियमावली, 2016 से है।

(ii) निःशक्तजन का तात्पर्य निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 की धारा 2-न में दी गयी परिभाषा के अनुसार उस व्यक्ति से है जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत की निःशक्तता किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हो।

(iii) "निःशक्तता" का अर्थ निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 की धारा 2-झ में परिभाषित निःशक्तजन से है।

(iv) "मानसिक रूग्णता" से मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक